



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

संख्या

—अधि०निदे०(मा०स०)/उपाकालि/III-A

दिनांक 26/09/26

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अभिलेखानुसार उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड में 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.06.2027 तक निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से सेवानिवृत्त होंगे :-

क्र.सं.	नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय/स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
-01-	-02-	-03-	-04-	-05-
1-	श्री संजय कुमार टम्टा अधिशाली निदेशक (तकनीकी)	अधिशाली निदेशक (तकनीकी), वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, उपाकालि, देहरादून।	25-01-1967	31-01-2027
2-	श्री शेखर चन्द्र त्रिपाठी, मुख्य अभियन्ता(स्तर-2)	मुख्य अभियन्ता (वितरण), कुमाऊँ क्षेत्र, उपाकालि, हल्द्वानी।	10-03-1967	31-03-2027
3-	श्री देवेन्द्र कुमार, अधिशाली अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उपाकालि, लक्सर।	10-05-1967	31-05-2027

उपर्युक्त आदेश, सम्बन्धित अधिकारी को स्तम्भ-5 में दर्शित उनकी सेवा निवृत्ति तिथि(अपराहन) तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं, संगत विनियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में उक्त तिथि के पूर्व कभी भी सेवा निवृत्त किया जा सकता है। किसी कारणवश उपर्युक्त सूची में नाम सम्मिलित होने से रह जाने पर भी अधिवर्षता आयु प्राप्त करने वाले अधिकारी का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह बिना किसी अग्रतर आदेश/निदेश की प्रतीक्षा किये नियत तिथि को सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो जाएं। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि, सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है तो वास्तविक व सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं अधिकारी की विधिक जिम्मेदारी होगी।

प्रबन्ध निदेशक

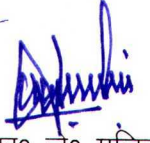
संख्या 4586 —अधि०निदे०(मा०स०)/उपाकालि/III-A/ तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- स्टाफ ऑफिसर, प्रबन्ध निदेशक, उ०पा०का०लि०, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 2- समस्त पूर्णकालिक निदेशकगण, उ०पा०का०लि०, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 3- समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर 1/2)/महाप्रबन्धक(विधि)/समस्त महाप्रबन्धक(वित्त), उ०पा०का०लि०, ..
.....।
- 4- समस्त सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से कि वे सेवानिवृत्त होने वाले सम्बन्धित अधिकारी को इस सूचना की प्रति तीन पेन्शन प्रपत्रों सहित हस्तगत कराए जाने सम्बन्धी व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित करें। कार्यालयाध्यक्षों के स्वयं के मामले में पेन्शन प्रपत्र उनसे अगले उच्च अधिकारी के माध्यम से अग्रसारित किए जाएंगे और वे ही सेवानिवृत्ति से पूर्व पेन्शन प्रपत्रों की तैयारी के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
- 5- अध्यक्ष, विभागीय आवास आबंटन समिति, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, देहरादून।

क्रमशः.....02 —

- 6- कम्पनी सचिव, उ०पा०का०लि०, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 7- अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय), उ०पा०का०लि०, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 8- उपमुख्य कार्मिक अधिकारी- I, अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुभाग, उ०पा०का०लि०, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि सेवानिवृत्त होने वाले उपर्युक्त अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित/आसन्न विभागीय कार्यवाही/जॉच इत्यादि, यदि कोई हो, को नियमानुसार यथासमय पूर्ण/निर्णीत कराए जाने तथा उपर्युक्त लिखित सेवानिवृत्ति की तिथि को उपर्युक्त के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराए जाने की व्यवस्था कराए जिससे कि उनके सेवानिवृत्तक देयों के निस्तारण में परिहार्य विलम्ब न हो।
- 9- अधिशासी अभियन्ता (का०में०), उ०पा०का०लि०, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 10- अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उ०पा०का०लि०, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 11- सम्बन्धित अधिकारियों को उनके नाम से/व्यक्तिगत पत्रावली/कट फाईल।



[डा० आर० जे० मलिक]
अधिशासी निदेशक (मा०सं०)